न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर..ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 003/2013

1. जंगीरकौर पत्नी सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **वादीया**

—:: बनाम ::—

1. सुखेदवेसिंह } पुत्रान सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी अक्कावाली तहसील व
2. चेतसिंह } जिला श्रीगंगानगर।
3. हरपालसिंह } पुत्रान गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी अक्कावाली तहसील व
4. लखविरसिंह } जिला श्रीगंगानगर।
5. जगविन्द्रसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री सुशील कुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादीया
2. पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 12.06.2018

वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 501 एल.एन.पी. की खतौनी संख्या 75/68 के मुरब्बा नम्बर 50 की 0.607 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 51 की 1.720 हैक्टर दोनों मुरब्बों की 2.327 हैक्टर नहरी रिकार्ड दर्ज है, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1/101, 2, 3, 8, 9, 10/.101 कुल 1.163 हैक्टर रकबा कब्जा में है अतः उक्त 1.163 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण को तामिल होनें पर भी प्रतिवादी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध दिनांक 24.06.2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकि है। स्टेट का जबाब आ चुका है पैरोकार राज नें अपनी रिपोर्ट में कुरेजात कायम किया जाना उचित बताया है। वकील वादीया की बहस सुनी गई बहस में तर्क दिया गया कि वादिया का उक्त विवादास्पद भूमि मे 1.163 हैक्टर भूमि पर कब्जा है भूमि मुश्तर्का खाते में है प्रतिवादीगण कोई भी उपस्थित नहीं आया है उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकि है भूमि मुश्तर्का खाते में है अतः प्राथमिक डिक्री जारी कर प्रस्ताव तहसील से मंगवाये जावे।

बहस पर मनन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत् 2065—68 खाता संख्या 75/68 मुरब्बा नम्बर 50 में 0.607 एवम् 51 में 1.720 हैक्टर नहरी भूमि मुश्तर्का खाता मे दर्ज है उक्त अपनें नाम दर्ज भूमि का बंटवारा कराकर खाता लगान अलग करवाना चाहती है। खाते में वादीया के नाम 1.163 हैक्टर भूमि दर्ज है अतः

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादीया का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से अच्छी बुरी एवम् कब्जा के अनुसार वादीया का हिस्सा मय नक्शा वर्तमान जमाबन्दी सहीत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18ता 21 को मध्यनजर रखते हुए प्रस्ताव मंगवाये गये।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्र क्रमांक 122 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव पर वादीया के अधिवक्ता को सुना गया वादीया के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कथन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भूमि का विभाजन किया जाता है, तो वादीया को कोई एतराज नहीं है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद वादीया स्वीकार किया तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादीया की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादीया जंगीरकौर पत्नी सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
501 एल.एन.पी.	51	1/1 का 0.092, 2/2 का 0.232, 3/2 का 0.232, 8/.253, 9/.253, 10/.101	1.163 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर व सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 18 एम.एल. के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर